रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-07122022-240870 CG-DL-E-07122022-240870

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5464] नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 7, 2022/अग्रहायण 16, 1944 No. 5464] NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 7, 2022/AGRAHAYANA 16, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 दिसम्बर, 2022

का.आ. 5696(अ).— केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना के शासकीय राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से, आंध्र प्रदेश राज्य के डॉ बी.आर. आंबेडकर कोनासीमा जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 216 कि.मी 126.1 से 10.8 बाईपास टूनरसापुरम टाउन तक के पेव्ड शोल्डर के साथ दो लेन में उन्नयन हेतु उक्त अनुसूची के स्तम्भ (4), (5), (6) और (7) में क्रमशः उल्लिखित राज्य, जिलों, तालुकों और गावों से सम्बन्धित उक्त अनुसूची के स्तम्भ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट भूमि के सम्बन्ध में अनुसूची के स्तम्भ (2) में उल्लिखित अधिकारियों को उक्त अधिनियम के अन्तर्गत सक्षम अधिकारियों के कृत्यों का निष्पादन करने के लिए एतद्वारा सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है।

अनुसूची आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-216 पर भूमि का अधिग्रहण ।

क्रमिक संख्या	सक्षम प्राधिकारी	भूमि का विवरण	राज्य	जिले का नाम	तालुक का नाम	गांव का नाम
1	2	3	4	5	6	7
	सब कलेक्टर / रेवेनुए डिविजनल ऑफिसर	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या		डॉ बी.आर. आंबेडकर कोनासीमा	मलिकीपुरम	1 रामाराजुलंका

8125 GI/2022 (1)

अमलापुरम	NH216	डिस्ट्रिक्ट	
	के कि.मी.		
	126.1 से		
	10.8 तक		

फा. सं. RO/NH-12037/11/2022-23/AP/South]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th December, 2022

S.O. 5696(E).—In exercise of powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956(48 of 1956), the Central Government hereby authorizes the officers mentioned in column (2) of the Schedule annexed here to as the competent authorities to perform the functions of such authorities under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the stretch of land specified in the corresponding entry in column (3) of the said Schedule relating to state, districts, taluk and villages mentioned in column (4), (5), (6) and (7) respectively of the said Schedule for upgradation to 2 laning with paved shoulders of road in Bypass to Narasapuram town from km. 126.1 to 10.8 of National Highway No. 216 in the District of Dr. B.R. Ambedkar Konaseema State of ANDHRA PRADESH.

SCHEDULE Land acquisition on National Highway No. 216 in the State of ANDHRA PRADESH.

Sl. No.	CALA	Stretch	State	District	Taluk/Mandal	Name of the Village
1	2	3	4	5	6	7
1	Downstand	126.1KM To 10.8KM	PRADESH	Dr B.R.Ambedkar Konaseema District	Malikipuram	1 Ramarajulanka

[F. No. RO/NH-12037/11/2022-23/AP/South]

RAJESH GUPTA, Director